

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म की
तारीख में जारी हुआ

प्रार्थीगण की ओर से श्री विनेश शर्मा Adu.

प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज
नियंत्रित किया जावे। प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन
किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की
जारी की जावे की विवाद ग्रस्त भूमि प्लॉट नं 5/6 का कुल 17.219 है
जिसमें से मुकाम 1 का फ्लॉट नं 11 का 15 प्रत्येक 0.126 है
मुकाम 2 का फ्लॉट नं 2 में 0.127 है कुल 0.760 है
शेष भूमि निषेधाज्ञा में

आगामी पेशी तक रिकॉर्ड एवं की यथास्थिति बनाई रखी जावें।
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर दिनांक 11/5/18 को पेश हो। अप्रार्थीगण
को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे जिसके लिए वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड
लिफाफे प्रस्तुत करें। तथा नोटिस रजिस्टर्ड कार्रवाई की वकील
पेशी दिनांक से पूर्व पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

08-5-18 प्रार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता
द्वारा केम्प राजस्थान लोक अदालत इतिभाग 2018
केम्प 11 LNP में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया जिसमें पदाकारों के मध्य राजीनामा होने
वाक्य कथन किया एवं प्रार्थनापत्र के पेश करने पर पदाकारों
पेश होने पर पदावली पर NOT Press अंकित किया गया
एवं प्रकरण को अगे नहीं चलाने बाबत निवेदन किया।
वकील प्रार्थी के प्रकरण/पदावली में अगे कोई कार्रवाई
नहीं चाहने पर एवं NOT Press करने पर पदावली प्रसलाशुमा
होकर शामिल मूल वाद सं 92/2017 रहे।

Not press
by me
B. Chahal
पदाकारों का
राजीनामा हो
गया है।
B. Chahal
विनेश कुमार

(प्रमाण/अहकाम)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर